

गृह मंत्रालय  
पूर्वोत्तर प्रभाग  
\*\*\*\*\*

**पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति**

गृह मंत्रालय उन भ्रमित युवाओं, जो विद्रोह में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास की एक नीति को कार्यान्वित कर रहा है। इस नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही दोबारा विद्रोह में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:-

- क. प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को 4 लाख रूपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय कोलेटरल सिक्योरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;
- ख. तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान;
- ग. विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन;
- घ. आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण;
- ङ. पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां;
- च. पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई स्कीम के तहत की जाती है।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई कैडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

\*\*\*\*\*